बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २७ मई, १९५८ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

Short-Notice Questions and Answers.

POINT OF ORDER REGARDING EXTRA POLICE ARRANGEMENT OUTSIDE THE ASSEMBLY CHAMBER.

सभा-भवन के बाहर फाजिल पुलिस-प्रबंध पर नियमापत्ति ।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वायन्ट आफ आर्डर (नियमापत्ति) रेज करना चाहता हूं ?

अध्यक्ष—इस समय सभा के समक्ष कोई कार्रवाई नहीं है तो आप किस तरह प्वायन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं ?

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर (नियमापत्ति) यह है . . .

अध्यक्ष—शांति, शांति । अभी एक घंटा समय क्वेश्चन (प्रश्न) के लिये है इसलिये अभी कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है ।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—काम तो शुरू हो रहा है लेकिन पुलिस रीजिम के अंदर शुरू हो रहा है । चारों तरफ पुलिस खड़ी है और हमलोगों को आने में बड़ी बाधा होती है ।

अध्यक्ष—चैम्बर के भीतर तो कोई गड़बड़ी नहीं है ?

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—चैम्बर के भीतर तो कोई गड़बड़ी नहीं है लेकिन चैम्बर के भीतर आने में बड़ी गड़बड़ी हो रही है, और यह सभा के सदस्यों के प्रिभिलेज (विशेषाधिकार) के खिलाफ है । रूल (नियम) के अंदर यह प्रोभाइडेड है कि सभा बेदम का जो एंप्रोचेज हैं वहां पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष—आप बतायें कि किस रूल को भंग किया गया है ?

(२) क्या यह बात सही है कि सस्पेन्ड की अवधि में उन्हें सस्पेन्शन एलाउएन्स नहीं मिलता है ;

(३) यदि उपर्युक्त खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो किस कारण इतनी लम्बी अवधि तक सस्पेन्ड करके रखे गये हैं और अभी तक उनके संबंध में कोई निर्णय किया गया है या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। तिथि ११ सितम्बर से वे निलंबित किये गये।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) जिला पर्षद्, सारन के अध्यक्ष महोदय ने उन्हें निलम्बित किया था। जिस अभियोग में वे निलंबित किये गये थे उसकी छानबीन अभी तक जिला पर्षद् के अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। इस संबन्ध में शीघ्रता करने का अनुरोध पर्षद् अध्यक्ष से किया गया है।

बिसोडिहरी स्कूल-भवन की मरम्मत।

*१८१०। श्री राम अशीश सिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिला अन्तर्गत बोर्ड अपर प्राइमरी स्कूल, बिसोडिहरी में कुल २६० विद्यार्थी हैं परन्तु वहां तीन ही कमरा है और तीन ही शिक्षक हैं जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को मैदान में बैठना पड़ता है और शिक्षक के अभाव में समुचित शिक्षा भी विद्यार्थियों को नहीं मिल पाती है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्कूल भवन की मरम्मत के लिये सन् १९५६ में ठीका लिया गया तथा ठीकेदार ने मरम्मत करने के लिये स्कूल भवन का मच तोड़वाया परन्तु वह आज तक ज्यों-का-त्यों है और भवन मरम्मत नहीं हुआ है ;

(३) यदि खंड (१) और (२) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) बिसोडिहरी अपर प्राइमरी स्कूल में २६० नहीं बल्कि २१३ विद्यार्थी हैं। स्कूल भवन तीन कमरों का है और तीन शिक्षक भी हैं। शिक्षक के अभाव में पढ़ाई में कुछ अवश्य बाधा पड़ती है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) जिला अभियन्ता को इस स्कूल के भवन की मरम्मत के विषय में लिखा गया है कि वे कार्य प्रारम्भ कर दें और बिल चुकती के लिए सरकार के पास उपस्थापित करें। १९५८-५९ की इकाईयां स्वीकृत होने पर एक और शिक्षक देने का प्रस्ताव जिला योजना समिति के समक्ष रक्खा जायगा।

बिसोडिहरी मिड्ल स्कूल की स्वीकृति।

*१८११। श्री राम अशीश सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिला अन्तर्गत बिसोडिहरी मिड्ल स्कूल का गवर्नमेंट डी० ए०, एडहाक डी० ए० तथा हेडमास्टर एलाउयेन्स जुलाई, १९५७ से आज तक का बाकी है ;